



O

H

S

M

S

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस
LICENCE FOR OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/ओएच/एल-8000108.4
Licence No. CRO/OH/L-8000108.4

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर,
ब्यूरो

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the
Bureau hereby grants/renews

स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड,

सहारनपुर - 247001 (उ० प्र०)

M/s Star Paper Mills Ltd,
Saharanpur - 247001 (UP)

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों
और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के
लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो
इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आई एस/ आई एस ओ
45001 : 2018 के अनुरूप सेवा गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पत्तों) पर
निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of
Licensees of **Occupational Health & Safety Management Systems Certification** in respect of the
products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same
number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/
provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Occupational
Health & Safety Management Systems in accordance with

IS/ISO 45001:2018

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों
और विनियमों के संबंध प्रवधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो
को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and
regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby
covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 16 मार्च 2021 to 02 जुलाई 2023 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण
किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 16 Mar 2021 to 02 July 2023 and may be renewed as prescribed in
the Regulations.

2021 के जून माह के ग्यारहवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित
Signed, Sealed and dated this Eleventh day of June 2021

सं. चतुर्वेदी
(Sanjeev Chaturvedi)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Recertification Due Date

02 July 2023

Last certification expiry date
02 July 2020

Certification audit Date
03-06 November 2021

